भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 6358
गुरुवार 2 अप्रैल, 2026/12 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नए विमानपत्तनों की स्थापना के लिए मानदंड

6358. डॉ. शशि थरूरः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनेक विमानपत्तनों के लिए प्रस्तावित शहरों की सूची क्या है और अत्यधिक व्यस्त विमानपत्तनों की पहचान के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में स्वीकृतियों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार ने मौजूदा विमानपत्तन क्षमता को संतृप्त मान लिए जाने के बाद ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थापना के लिए 150 किलोमीटर के दायरे के मानदंड में छूट देने या उसे कम करने का कोई नीतिगत निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को मौजूदा विमानपत्तन संचालकों से 150 किलोमीटर के दायरे में दूसरा विमानपत्तन स्थापित करने के संबंध में कोई आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो ऐसी आपत्तियों के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाला नीतिगत ढांचा क्या है;
(घ) क्या इन प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन और यातायात मांग का आकलन किया गया है, यदि हां, तो इसके शहर-वार मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और
(ङ) एक ही शहर के भीतर अनेक विमानपत्तनों के बीच हवाई यातायात और विमान परिचालन के आवंटन के लिए क्या विनियामक ढांचा है तथा यात्रियों की सुविधा और मौजूदा विमानपत्तनों की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अनुसार, भारत सरकार (जीओआई) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्रदान करती है, जहां ऐसे हवाईअड्डों का विकास यातायात पूर्वानुमान, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, परिचालन संबंधी अपेक्षाओं, एयरलाइनों से प्राप्त मांग आदि के आधार पर किया जाता है। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता की होती है।

इस नीति के अनुसार, किसी मौजूदा नागरिक हवाईअड्डे से 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी भी नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना की अनुमति नहीं है। तथापि, मौजूदा नागरिक हवाईअड्डे (या हवाईअड्डों) पर मामला-दर-मामला आधार पर प्रभाव आकलन करने के पश्चात इसकी अनुमति दी जा सकती है।

इसके अलावा, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत हवाईअड्डें उनके संबंधित रियायत समझौतों (सीए) आदि द्वारा शासित होते हैं।

सरकार ने दिल्ली हवाईअड्डे के पास नोएडा (जेवर), मुंबई हवाईअड्डे के पास नवी मुंबई, अहमदाबाद हवाईअड्डे के पास धोलेरा, गोवा हवाईअड्डे के पास मोपा, भुवनेश्वर हवाईअड्डे के पास पुरी और चेन्नई हवाईअड्डे के पास परंदुर में मौजूदा हवाईअड्डों से 150 किलोमीटर के दायरे में दूसरे हवाईअड्डे की स्थापना हेतु अनुमोदन दे दिया है।

(ङ) : दो हवाईअड्डों के बीच यातायात का वितरण मांग-आधारित होता है और एयरलाइनें अपनी कंपनी की नीति और हवाईअड्डों पर यातायात के आधार पर अपनी अनुसूची (शेड्यूल) की योजना बनाती हैं। मार्च 1994 में एयर कॉर्पोरेशन अधिनियम को निरस्त करने के साथ, भारतीय घरेलू विमानन को विनियमित किया गया था। एयरलाइनें अपने बेड़े में किसी भी प्रकार के विमान को शामिल करने और सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देश (आरडीजी) और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित उड़ान अनुसूची के अनुपालन के अध्यधीन सेवा प्रदान करने और परिचालन करने हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।
